न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा,

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 167 / 2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. मंगलाराम पुत्र श्री दलाराम जाति पटेल (सांगर) निवासी दीवान जी की प्याऊ, रामसागर बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 2. पारसराम पुत्र श्री दलाराम जाति पटेल (सांगर) निवासी कमल भटटा के पास बेरा डोली बिलाड़ा, तहंसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :– 1. प्रार्थीगण की ओर से श्री बिरमराम विश्नोई एडवोकेट
2. अप्रार्थी सरकारी पैरोकार।

आदेश दिनांक 16.06.2017

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की एव कब्जासुद भूमि कस्बा बिलाड़ा के चक संख्या 3 में स्थित है एवं प्रार्थीगण के पिता स्व. दलाराम पुत्र स्व. श्री पुरखाराम का स्वर्गवास 23.06:2016 को हो चुका है। प्रार्थीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में कृषि व्यवसाय को आगे बढाने के लिये कुआ खुदवाकर कृषि कनेक्शन वगैरा सम्बंधित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का मार्फत सहायक अभियन्ता कार्यालय बिलाड़ा से प्राप्त किया जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम दलाराम पुत्र पुरखाराम विद्युत विभाग के खाता संख्या 0417/0137 के नाम से जारी है। प्रार्थीगण के पिता के नाम से जारी भारत सरकार का आधार कार्ड भी दलाराम पुत्र पुरखाराम निवासी कमल भटे के पास बेरा डोली बिलाड़ा के नाम से जारी है एवं प्रार्थीगण के पिता के नाम से जारी राजस्थान सरकार द्वारा जारी भामाशाह कार्ड परिवार पहचान संख्या VRWPJXX आधार कमाक 665357261906 के जारी है। परिवार का राशनकार्ड संख्या 00243, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र भी प्रार्थीगण के पिता के नाम जारी है जो दिनांकक 06.12.1998 से प्रार्थीगण के पिता के नाम से जारी है। प्रार्थीगण के पिता सामाजिक सुरक्षा पेन्शन प्राप्त करते रहे है। बैंक आफ बड़ौदा में प्रार्थीगण के पिता

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

के नाम जारी खाता की प्रति भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण के पिता के नाम से जारी राजस्व रेकर्ड की पासबुक दिनांक 10.11.1986 जो खाता संख्या 613 पटवार हल्का बिलाड़ा चक संख्या 3 के नाम से राजस्व बन्दोबस्त की काला अवधि संवत् 2016 से 2036 तक की अप्रार्थी के द्वारा जारी कृषि भूमि की जोत की विशिष्टिया खाता संख्या 613 से सम्बंधित है जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम दलाराम पुत्र पुरखाराम के नाम से इन्द्राज है एवं अन्य पासबुक खाता संख्या 706 भी प्रार्थी के पिता के नाम से जारी है। प्रार्थीगण के पिता द्वारा बैचान भूमि का विक्रय विलेख भी दिनांक 23.08.1977 का जारी है। म्यूटेशन संख्या 1416 की प्रति दिनांक 08.05.1975 की एवं उससे पूर्व की प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है एवं एक अन्य म्यूटेशन संख्या 723 की प्रति भी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम दलाराम पुत्र श्री पुरखाराम के नाम से इन्द्राज है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों की भूल से प्रार्थीगण के पिता दलाराम का नाम अपभ्रंश कर लिपिकीय त्रुटिवश दयाराम पुत्र पुरखाराम जाति पटेल कर दिया गया जो राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज है जिसे संशोधित किया जाकर सही नाम दयाराम के स्थान पर दलाराम विशुद्ध रूप से किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में खसरा न्मबर 6258/4, 6258/5, 4315/7, 6258/3 व संवत् 2052 से 2055 तक की जमाबन्दी खसरा नम्बर 4288 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 4292/4 रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 50 बीघा एवं खाता संख्या 673 के खसरा नम्बर 6250/4 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 6250/5 रकबा 03 बीघा एवं खाता संख्या 674 एवं 707 कके खसरा नम्बर 4315/7 रकबा 15 बीघा एवं खाता संख्या 708 के खसरा नम्बर 6250/3 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम दलाराम के स्थान पर दयाराम के नाम का इन्द्राज गलत रूप से लिपिकीय त्रुटिवश कर दिया गया है जिसकी दुरूस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेशित किया जाकर निर्देशित किया जावे कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिता दलाराम पुत्र पुरखाराम जाति पटेल सा. देह खातेदार के रूप में संशोधित रूप से नाम अंकन किया जाकर अशुद्ध नाम दयाराम को राजस्व रेकर्ड से विलोपित किया जाकर राजस्व रेकर्ड पुनः दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण को अनुतोष प्रदान करावें।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बिलाड़ा (जोधपुर)
सत्यमेव जयते

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी उपस्थित हुए और उनकी तरफ से जवाब पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी का जवाब बन्द किया गया।

उभय पक्षकारान के वकुलाय की बहस सुनी गयी, वकुलाय ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 3 तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 6250/4, 6250/5, की जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 में प्रार्थी के पिता का नाम दलाराम दर्ज किया हुआ है प्रार्थी ने अपने पिता के समर्थन में सरकारी दस्तावेज विद्युत बिल, आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, बैचाननामा बाबूखाँ बहक दलाराम, नामान्तरकरण संख्या 1416 (दलाराम), नामान्तरकरण संख्या 623 (दलाराम), बैंक आफ बड़ौदा की बैंक डायरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, खेत की पासबुक खाता संख्या 613 दलाराम के नाम से, खेत की पासबुक खाता संख्या 278 दलाराम के नाम से आदि दर्ज किया हुआ है। जबकि जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 को कम्प्यूटराईज करते समय लिपिकीय भूलवश या त्रुटिवश खसरा नम्बर 6250/4, 6250/5 में खातेदार दलाराम पुत्र पुरखाराम के बजाय दयाराम पुत्र पुरखाराम दर्ज कर दिया गया है जो एक लिपिकीय त्रुटी प्रतीत होती है। अतः प्रार्थी के पिता का लिपिकीय भुलवश गलत नाम की शुद्धी किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 3 तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 6250/4 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 6250/5 रकबा 3 बीघा जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 की दुरूस्ती की जाकर प्रार्थी के पिता का नाम दयाराम पुत्र पुरखाराम की जगह दलाराम पुत्र पुरखाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को प्रदान किया जाता है। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा (जोधपुर)

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 16.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलाश सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा (जोधपुर)

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा